जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 13.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 56 वाहनों से 61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 56 वाहनों से 61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 500 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अजय सिहं के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त मनीराम चौहान पुत्र केदारनाथ निवासी बानपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती को आज दिनांक 13.01.2025 को रामपुर बाराकोनी दुर्गामंदिर के पास से कुल 01 किलो 500 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नीराम चौहान पुत्र केदारनाथ निवासी बानपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 20/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 01 किलो 500 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, उ0नि0 श्री रामदरश यादव, हे0का0 बदरे आलम, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 मेराज अली, का0 रजनीश यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाया गया 01 सीसीटीवी कैमरा

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 13.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 01 सीसीटीवी कैमरां लगवाया गया। थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 01 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 13.01.2025 को न्यायालय – विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/2020 धारा 323, 504, 506, 377, 511 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता लालबहादुर पत्र राममिलन सा0 कटया टोला अकोलहना थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर आदेश दिया गया कि अभि0 लाल बहादुर को मु0अ0सं0 52/2020 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 323, 377, 511 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त को उक्त सत्र परीक्षण संख्या के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भादवि व धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट के तहत दोषमुक्त किया जाता है। अभि0 उक्त मामलें में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार संतकबीरनगर में निरुद्ध है। अभियुक्त लाल बहादुर को धारा 377 भादवि सपठित 511 के तहर 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को धारा 323 भादवि के तहत 06 माह का सश्रम कारावास व 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि इस मामले के कारावास की अवधि से नजरा किया जायेगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर पीड़ित को 5500रु0 बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।